

पंचायत निर्वाचन

प्रारूप

परिशिष्ट-6

(नियम 31(4) देखिये)

नामांकन पत्र वापस लेने वाले उम्मीदवारों की सूची

*ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद्-----के वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र
क्रमांक-----के पंच/सरपंच/सदस्य के लिए निर्वाचन।

क०सं० उम्मीदवार का नाम पिता/पति का उम्मीदवार का जमा कराई गई राशि विवरण
नाम पता

यदि सरकारी स्कूल
में जमा कराई गई
है तो स्कूल नं०
तथा स्कूल का नाम

यदि निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
सहायक निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
के पास जमा कराई गई है
तो निर्वाचन आयोग की
पुस्तिका/रसीद नं० तथा
तिथि

1.

2.

3.

4.

5.

6.

स्थान-

तारीख-----

रिटर्निंग आफिसर(पंचायत)/
सहायक रिटर्निंग आफिसर(पंचायत)

* जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए।

उक्त विवरणी में उम्मीदवारों के नाम वर्ग क्रमानुसार और ठीक उसी तरह लिखे जायें जैसे कि नामांकन पत्र में अंकित है।

विवरणी तैयार होते ही उसकी एक प्रति रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को सीधी तथा एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से भेजी जाए।